

30/5/23 पन्नावली पैशा हुई। वादी एवं वादीवकील
अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगायी
गयी। मौजूदा हाजिर अवाला नहीं हुआ। अतः मूल वाद
अदम हाजरी - अदम वैखी में खारिज किया जाता है।
पन्नावली फौजदारी नुमाद ही कर नम्बर से कम है। बाद
पूर्ति कारखाने दफ्तर है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.